 <p>RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION</p> <p>Entrepreneur First</p>	<p>राजस्थान वित्त निगम मुख्यालय: उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर H.O.: Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR-302005 Ph.No.0141-2385522 FAX-0141-2385503 E-mail:sanjaylahri@rfc.rajasthan.gov.in</p>
--	--


क्रमांक आरएफसी/पीए-21(1)/698

दिनांक 24.07.2019

परिपत्र
(पीएफसी-786)

विषय: अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम एवं दिनांक अंकित नहीं किए जाने बाबत ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1), राजस्थान सरकार से उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त परिपत्र क्रमांक एफ.10 (1)प्रसु/अनु-1/2012 दिनांक 27.06.2019 की प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सरकार के संदर्भित परिपत्र दिनांक 27.06.2019 में दिए गए दिशा निर्देशों की समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पालना पूर्णतः सुनिश्चित की जावे । उक्त संबंध में निगम द्वारा पूर्व में भी परिपत्र क्रमांक आरएफसी/पीए-21(1)898 दिनांक 14.02.2019 जारी किया गया है ।


(राकेश राजौरिया)
कार्यकारी निदेशक

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि:

1. समस्त शाखा कार्यालय/अनुभागाधिकारी, राजस्थान वित्त निगम, मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों से अधीनस्थ सभी संबंधित कर्मचारियों को अवगत करावें ।
2. मुख्यालय में मानक परिचालन

MD 237
2-7-19

ED-216
21/7/19

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक: प. 10(1)प्रसु/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक : 27-06-2019

:: परिपत्र ::

शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अंकित टिप्पणी/नोट अथवा प्रेषित पत्र पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम तथा दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किये जाने के संबंध में समय-समय पर इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.03.2012, 21.02.2013, 24.05.2013 एवं 18.03.2016 जारी कर निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय अधिकारी/कर्मियों द्वारा इन निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। अतः पुनः दोहराया जाता है कि शासन में सभी स्तर पर पारदर्शिता लाने, पहचान एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निम्न निर्देश की पूर्ण पालना आवश्यक रूप से की जावे :-

1. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (फील्ड में कार्यरत भी) द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्रस्तुत/प्रेषित टिप्पणी/नोट, पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों पर जब भी अपने हस्ताक्षर किये जावें तो अंकित किये गये हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, पदनाम व दिनांक भी आवश्यक रूप से अंकित करें।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय पत्र व्यवहार करते समय कम संख्या-1 में प्रदत्त निर्देश की पालना के साथ-साथ पत्र के आधार (Bottom) पर कार्यालय का सम्पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फेक्स नम्बर, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय/संबंधित अधिकारी की मेल-आई.डी. भी आवश्यक रूप से अंकित की जावे।
3. जिन प्रकरणों पर अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम दिनांक अंकित नहीं हो, उन पत्रावलियों को उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं कर, पत्रावलियों संबंधित अधिकारी/कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जावे।

प्रदत्त उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे तथा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

Gm (P&A)

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग आदि में सुनिश्चित की जावे।

-SA-
(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यामंत्रि महोदय
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, जनसत माननीय मंत्री/राज्य मंत्री
3. जनसत अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, नई दिल्ली
5. समस्त संभागीय आयुक्त
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर
7. जनसत विभागाध्यक्ष
8. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग/प्रकोष्ठ
11. आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों में प्रमुख हस्ताक्षर पत्रों के प्रचार-प्रसारार्थ
12. संकेत पत्रावली

(रवि शंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Dy. Secy (P&A)
Dy. Secy (P&A)

2/7
PA-608
03-7-19

Sr. Navanand
2/7